RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS , JAIPUR BENCH, JAIPUR

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877)

Mega Legal Awareness and Public Welfare Camp

Introduction:-

Central and State Governments have framed various schemes for welfare of weaker and marginalized sections of society but for illiteracy and lack of awareness, the benefits of these schemes are not reaching to the eligible persons. In this scenario, Rajasthan State Legal Services Authority has launched 'Mega Legal Awareness and Public Welfare Camp Scheme' with the object to organize legal literacy camps to spread legal awareness and at the same time, with the help of concerned Govt. Departments, legal service institutions facilitate the benefits of various welfare schemes to the needy and deserving persons.

The main objectives of camp:-

The main objectives of the Mega Legal Awareness and Public Welfare Camp are as follows:-

1. To spread legal awareness.
2. To make common man aware of public welfare schemes, particularly those meant for weaker and marginalized sections of the society.
3. To facilitate the benefits of various welfare schemes of the Centre and the State to the needy and deserving persons.

Practical Implementation of Scheme:-

In this scheme, DLSA Chairman and District Collector select a Village Panchayat or Panchayat Samiti and fix the venue and date of camp. Almost three months time is taken for preparation. All the concerned departments are instructed to ensure that no person entitled of getting benefit of social

welfare schemes is left out. Panchayat Secretary, Patwari and local Para Legal Volunteer make survey of the concerned villages and identify the eligible and needy persons related to various Government Public Welfare Schemes. They procure applications from them and also assist them in fulfilment of required formalities. During the camp, besides spreading legal awareness, public at large is also made aware of the welfare schemes.

Most of the benefits are given during the preparation of camp and rest of the benefits are given in the camp itself. If some persons are left out for want of the formalities, concerned govt. officers ensure that the benefits are given in due course of time.

Major Welfare schemes Covered:-

During the preparation and organisation of Mega Legal Awareness and Public Welfare Scheme Camps many benefits are provided to the needy and deserving person. For example, distribution of tricycle, wheelchair Jaipur foot & other benefits to specially disabled persons, pensions and other benefits to senior citizens, Widow Pension Scheme, Maharana Pratap Scheme to provide houses to Gadia Luhars, Palanhar Scheme, benefit to labours, benefit to SC/ST, benefit to children, etc., activities are conducted by the Chairman of Legal Services Institution with the help of administration and different Government Departments.

Other Schemes:-

In addition to the above mention schemes, many other benefits are also facilitated to the weaker, marginalised sections of the society, needy and deserving persons of the Society such as Soil Health Card, Grant for Sapling Protection, Issuance of Patta (Lease), Grants for Toilets, Disabled Pass, Urban Pension, Urban Ration Card, Revenue Certificates, Assistance Scheme, Disability Certificate, Public Hearing, Birth/Death Certificate, Sanitation Scheme, Bhamashah Card, Scholarship for Children under Building and other Construction Workers Act, 1996, Devnarayan Scooty Scheme, Check Distribution of Inspired Award, Various Schemes of CHC/PHC, JSSK Scheme, Subh Laxmi Scheme, Benefits under Family Welfare Sterilization, Pure Ghee Scheme to BPL Family on first delivery, Atal

Pension Scheme, Adhar Card, Revenue Record Correction, Partition, Mutation, Prime Minister Insurance Scheme, Chief Minister Relief Fund, Escort Allowance, Transport Allowance, Short Term Agriculture Loan, Grant on Hailstorm, Electricity in every House Scheme, Swacchh Bharat Mission, Indira Housing Scheme, Rajeev Gandhi Krishak Sathi Scheme, 2009 etc.

Achievements of Mega Legal and Public Welfare Camps:-

This scheme was started in the month of June, 2015. Since its inception, more than 38 lacs persons have been benefited by 89 welfare camps. From January, 2016 to March, 2016, 18 such camps have been organised benefiting more than 15 lacs persons.

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांक :– रालस/2016/8138-8172 ई0मेल0 दिनांक :– 15.9.2016

प्रेषिति :–

श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान ।

विषय :– मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना में परिवर्तन व संशोधन करने बाबत।

महोदय,

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 11 दिनांक 13.5.2015 द्वारा जारी मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना का कियान्वयन निम्नांकित परिवर्तनों एवं संशोधनों के साथ किया जाना है :–

1. पूर्व की भॉति प्रत्येक जिले में हर त्रैमास में एक शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय/ पंचायत समिति मुख्यालय या बडे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जावेगा लेकिन शिविर की तिथि अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पूर्णकालिक सचिव द्वारा आपस में विचार विमर्श कर स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए निर्धारित की जावेगी।

2. शिविर की तैयारी पूर्ण कालिक सचिव एवं सम्बंधित ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में की जावेगी।

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने नवम्बर 2015 में निम्नलिखित सात जन कल्याणकारी योजनायें जारी की हैं जिनके कियान्वयन में वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने सभी सम्बंधित विभागों को एवं जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं। (तुरंत संदर्भ के लिए प्रति संलग्न है)। इन योजनाओं के कियान्वयन के लिए इस कार्यालय द्वारा एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनके अध्यधीन प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की पहचान की जावेगी। सभी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को देय

लाभ प्रदान करने हेतु आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में मदद की जावेगी :–

1. **नालसा (तस्करी और यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015**
2. **नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015**
3. **नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015**
4. **नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015**
5. **नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015**
6. **नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं)योजना, 2015**
7. **नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015**

4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की उपरोक्त योजनाओं (जिनकी प्रतियॉ पूर्व में भेजी जा चुकी हैं तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वैब साईट पर भी उपलब्ध हैं) में प्रत्येक योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, योजना से सम्बंधित सरकारी योजनाओं का विवरण तथा योजना के कियान्वयन का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिपत्र कमांक 14 दिनांक 22.2.2016 भी इन सातों योजनाओं के कियान्वयन हेतु जारी किया जा चुका है। (जिसकी प्रति भी प्रेषित की जा चुकी है)।

5. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी उपरोक्त सातों योजनायें मुख्यतः जन कल्याणकारी योजनायें ही हैं तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन का दायित्व भी राज्य सरकार का ही है लेकिन " मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर " के तहत अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी उपरोक्त सातों योजनाओं का कियान्वयन भी किया जावेगा।

6. सम्बंधित पैरा लीगल वोलियेन्टर द्वारा पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के गॉव के सरपंच एवं पंचों के सहयोग से सर्वे किया जावेगा। शिविर की सार्थक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होने पर

पडौस की ग्राम पंचायत के पैरा लीगल वोलियेन्टर्स की सेवायें भी ली जा सकेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के कियान्वयन हेतु गठित की गई टीमें भी शिविर की तैयारियों में भाग लेंगी तथा अपनी अपनी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन के लिए उत्तरायी होंगी।

7. उपरोक्त योजनाओं के साथ साथ सम्बंधित पैरा लीगल वोलियेन्टर्स वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वच्छता मिशन गाडिया लोहार को आवासीय जमीन के आवंटन, दिव्यागों को उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण दिलाने हेतु उनकी पहचान करने का कार्य करेंगे। लाभार्थियों को उनसे सम्बंधित योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन पत्र तैयार करने एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी करने में भी उनकी मदद करेंगे।

8. " मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर " के नाम के अनुरूप इस शिविर में उपस्थित लाभार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, कानूनों तथा सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य किया जावेगा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं एवं सम्बंधित कार्यालयों की जानकारी भी दी जावेगी। विशेष तौर पर यह भी बताया जावेगा कि पात्र व्यक्ति को वांछित लाभ नहीं मिलने पर या किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा टालमटोल करने या अनुचित मॉग करने पर कहॉ शिकायत की जा सकेगी।

9. सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में ग्राम पंचायत एवं स्थानीय प्रशासन की भागीदारी रहती है। प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाने के लिए इनका विधिक उत्तरदायित्व भी है , अतः विधिक सेवा संस्थाओं से जुडे सभी प्रतिनिधी आवश्यक सहयोग व समन्वय बनाये रखेंगे।

10. केन्द्र सरकार के निशक्तजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India) राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग व अन्य सम्बंधित राजकीय विभागों से भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जा सकेगा। साथ ही महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर से भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जा सकेगा।

11. मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन इस कार्यालय के पत्र कमांक 5087–5121 दिनांक 7.7.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। किसी भी दृष्टि से यह शिविर राजनैतिक आयोजन जैसा नहीं लगना चाहिए।

12. पूर्व की भाँति शिविर की रिपोर्ट एवं दिये गये लाभों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी ।

13. कृपया उपरोक्त परिवर्तन व संशोधन के साथ " मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याणकारी शिविर योजना" का संचालन जारी रखें और इसके माध्यम से पीडित मानवता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं रखें।

14. उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में कियान्वयन में आने वाली हर कठिनाई या समस्या के लिए निवारण करने के लिए यह कार्यालय सदैव तत्पर है।

सादर।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

14/9/16

(एस0 के0 जैन)
सदस्य सचिव

पी0एस0

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(फोनः 0141–227481, 2227555, फैक्सः 2227602, टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100)

ईमेलः rj-slsa@nic.in देव साईटः www.rlsa.gov.in

क्रमांक 14 दिनांक 22.2.2016

परिपत्र

विषयः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस 2015 पर जारी योजनाओं के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.11.2015 को समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु निम्न योजनायें जारी की गई–

1. नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
   NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015
2. नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
   NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015
3. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
   NALSA (Child Friendly legal services to Children and their Protection) Scheme, 2015
4. नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
   NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015
5. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
   NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015
6. नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015
   NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015
7. नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
   NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015

उपरोक्त सभी योजनाओं के कियान्वयन हेतु योजनाओं की प्रतियां सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई कि वे इन सभी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन के कम में अपने स्तर की जाने वाली कार्यवाही तुरन्त

प्रारंभ करें। इसी प्रकार मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को भी सभी योजनाओं की प्रतियां भेज कर निवेदन किया गया कि वे सभी सरकारी विभागों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित करें कि वे इन योजनाओं को सफल बनाने हेतु विधिक सेवा संस्थाओं से सहयोग व समन्वय रखें और इन योजनाओं के तहत की जाने वाली कार्यवाही संपन्न करने में कोई कोर कसर नहीं रखें।

उपरोक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक समिति/इकाइयों के गठन की कार्यवाही भी की जा चुकी है।

यह सभी योजनायें समाज के बड़े वर्ग से संबंधित हैं। इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। यह योजनायें सिर्फ कागजी बनकर नहीं रह जायें बल्कि धरातल पर इनका कियान्वयन हो और अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ मिले, इस दृष्टि से माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी, कार्यकारी अध्यक्ष, रालसा के निर्देशानुसार आगे वर्णित कार्य योजना एवं उसकी पालना की सतत् समीक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य स्तर पर कियान्वयन

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर निम्न अधिकारीगण उनके नाम के आगे अंकित योजना के नोडल ऑफिसर होंगे–

1	नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015	उप सचिव (एक्शन प्लान एवं ए.डी.आर.)
2	नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015	उप सचिव (एक्शन प्लान एवं ए.डी.आर.)
3	नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Child Friendly legal services to Children and their Protection) Scheme, 2015	उप सचिव द्वितीय
4	नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015	उप सचिव (एक्शन प्लान एवं ए.डी.आर.)
5	नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015	उप सचिव
6	नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015 NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015	पूर्णकालिक सचिव, रा.उ. न्यायालय विधिक सेवा समिति
7	नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015	पूर्णकालिक सचिव, रा.उ. न्यायालय विधिक सेवा समिति

उपरोक्त सभी नोडल अधिकारी रालसा के सदस्य सचिव के सामान्य निर्देशन में संबंधित योजना के अन्तर्गत रालसा/राज्य स्तर पर की जाने वाली तमाम कार्यवाही संपन्न करेंगे। सबंधित सरकारी विभागों से समन्वय रखेंगे। उनके साथ समय समय पर बैठक करेंगे। पूरे राज्य में किसी भी स्थान पर किसी भी विभाग के सहयोग में कमी की स्थिति आने पर उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। वे संबंधित योजना के धरातल पर कियान्वयन की सतत् समीक्षा करेंगे। इस कम में प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का योजनावार रिकार्ड रखेंगे। प्रत्येक योजना के संबंध में आने वाली सूचनाओ का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेंगे। किसी योजना विशेष की पालना में ढिलाई या स्थानीय स्तर पर कोई कठिनाई सामने आने पर उसका निराकरण करेंगे। सभी जिलों से प्राप्त मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर सटीक नोट तैयार करेंगे जिसमें अच्छा कार्य करने वाले जिलों का भी उल्लेख होगा तो स्तरीय कार्य नहीं कर पाने वाले जिलों का विवरण भी शामिल होगा। साथ में स्थिति में सुधार के सुझाव भी सम्मिलित होंगे।

सदस्य सचिव द्वारा सभी सातों योजनाओं के जिले वार मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर योजनाओं की प्रगति से माननीय कार्यकारी अध्यक्ष रालसा को अवगत कराया जायेगा और उनके निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिला स्तर पर कियान्वयन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका स्तर पर संबंधित योजनाओं में गठित समितियों/इकाईयों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा। साथ ही संबंधित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एंव सेशन न्यायाधीश) के सामान्य निर्देशन एवं नियंत्रण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव उक्त समितियों/इकाईयों के साथ सहयोग व समन्वय बनाये रखेंगे तथा पूरे जिले में प्रत्येक योजना का ठोस कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले में इन सभी योजनाओं की यथार्थ पालना के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालय पर प्रत्येक योजना में हुए कार्य की रिपोर्ट संकलित करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। जो अच्छा कार्य करेंगे उनकी प्रशंसा करेंगे तथा ढिलाई बरतने वालों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही सभी प्रकार की कठिनाइयों का निवारण करेंगे। अपने स्तर पर प्रत्येक योजना की मासिक रिपोर्ट तैयार करायेंगे और रालसा को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी योजनाओं का धरातल पर कियान्वयन सुनिश्चित करने के कम मे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर तीन टीम गठित करेंगे। प्रत्येक टीम मे विधिक सेवाओं में रूचि रखने वाले उर्जावान एक पैनल अधिवक्ता एवं एक पैरा लीगल

वोलेन्टीयर होंगे। इन्हें निम्न प्रकार योजनाओं की जिम्मेदारी दी जायेगी–

टीम प्रथम – 1. नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

2. नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015

3. नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

टीम द्वितीय – 1. नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

2. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

टीम तृतीय – 1. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

2. नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

उपरोक्त सभी टीम संबंधित योजनाओं के तहत गठित समिति/इकाईयों के साथ स्थानीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय रखेंगी। पूर्णकालिक सचिव के निर्देशन में जिला मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में प्रमुख स्थानों पर योजना के अनुरूप विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ साथ योजना के प्रत्येक बिन्दु पर नियिमत रूप से ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। आवश्यकता होने पर तालुका स्तर पर होने वाली गतिविधियों के संपादन में सहायता करेंगी। प्रत्येक गतिविधि का निर्धारित रजिस्टर में रिकार्ड रखेंगी। उसका सत्यापन स्थानीय पंच/सरपंच/पार्षद/समकक्ष प्राधिकारी से करायेंगी।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की आबादी के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि टीम विशेष किस किस स्थान पर किस दिवस पर एवं कितने दिन के अन्तराल पर गतिविधि विशेष संपादित करेगी। इस तरह यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके क्षेत्र में किसी भी योजना का कोई भी लाभार्थी योजना से अपरिचित नहीं रहे और योजना के तहत देय लाभों से वंचित नहीं रहे।

प्रत्येक टीम के सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर नजर रखी जायेगी। जो भी सदस्य लापरवाही बरते या काम में अरूचि दिखाये और प्रेरित करने पर भी सुधार नहीं लाये तो उसे टीम में नहीं रखा जायेगा। प्रत्येक टीम में प्रशिक्षित सदस्यों को रोटेशन से रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी योग्य प्रशिक्षित सदस्यगण को

समान व पर्याप्त काम मिले और वे बढ़चढ़ कर काम करते रहें।

प्रत्येक जिले के पूर्णकालिक सचिव अपने जिले की सभी तीनों टीमों के साथ यदा कदा अपनी उपस्थिति में उनकी गतिविधियों का संचालन करेंगे ताकि उनके कार्यक्रमों में निखार आ सके, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता रहे। ये सभी टीमों के कियाकलाप की सतत समीक्षा करेंगे। उनकी मासिक रिपोर्ट अपनी निगरानी में तैयार करायेंगे। प्रत्येक योजना में हुई प्रगति का विवरण संबंधित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष रखेंगे, उनसे प्रत्येक योजना पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे, उनके निर्देशानुसार कमियों में सुधार करेंगे तथा मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

तालुका स्तर पर कियान्वयन

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति से विचार विमर्श कर अपने जिले के सभी तालुका मुख्यालयों पर इन सभी योजनाओं के कियान्वयन के लिए एक टीम का गठन किया जायेगा जिसमें विधिक सेवाओं में रूचि रखने वाले उर्जावान एक पैनल अधिवक्ता एवं एक पैरा लीगल वोलेन्टीयर शामिल होंगे।

उपरोक्त टीम संबंधित योजनाओं के तहत गठित समिति/इकाईयों के साथ स्थानीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय रखेंगी। अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य निर्देशन में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के नियंत्रण में तालुका मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में प्रमुख स्थानों पर योजना के अनुरूप विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ साथ योजना के प्रत्येक बिन्दु पर नियिमत रूप से ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक गतिविधि का निर्धारित रजिस्टर में रिकार्ड रखेंगी। उसका सत्यापन स्थानीय पंच/सरपंच/पार्षद/समकक्ष प्राधिकारी से करायेंगी।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की आबादी के अनुरूप तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि उनकी टीम किस किस स्थान पर किस दिवस पर एवं कितने दिन के अन्तराल पर गतिविधि विशेष संपादित करेगी। इस तरह यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके क्षेत्र में किसी भी योजना का कोई भी लाभार्थी योजना से अपरिचित नहीं रहे और योजना के तहत देय लाभों से वंचित नहीं रहे।

टीम के सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर नजर रखी जायेगी। जो भी सदस्य लापरवाही बरते या काम में अरूचि दिखाये और प्रेरित करने पर भी सुधार नहीं लाये तो उसे टीम में नहीं रखा जायेगा। टीम में प्रशिक्षित सदस्यों को रोटेशन से रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी योग्य प्रशिक्षित सदस्यगण को समान व पर्याप्त काम मिले और वे बढ़चढ़ कर काम करते रहें।

प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपने तालुका की टीम के साथ यदा कदा अपनी उपस्थिति में उनकी गतिविधियों का संचालन करेंगे ताकि उनके

कार्यक्रमों में निखार आ सके, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता रहे। वे अपनी टीम के कियाकलाप की सतत समीक्षा करेंगे। योजनाओं के कियान्वयन में की गई कार्यवाही का मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर निर्धारित तिथि तक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे।

आवश्यकतानुसार पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी तालुकाओं की गतिविधियों में स्वयं भाग लेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, कमियों को दुरूस्त करेंगे और तालुका की गतिविधियों को त्रुटि रहित बनायेंगे।

मानदेय एवं यात्रा व्यय का भुगतान

इन योजनाओं के अन्तर्गत गठित उपरोक्त सभी टीमों एवं समिति/इकाई सदस्य के रूप में कार्य करने वाले पैनल अधिवक्ता सदस्य को एक दिन के कार्य के लिए रू 500/– एवं पैरा लीगल वोलेन्टीयर को एक दिन के कार्य के लिए रू 250/– मानदेय दिया जायेगा। टीम के सदस्यों द्वारा मुख्यालय से कार्यक्रम स्थल तक एक साथ कार से यात्रा करने पर छहः रूपए प्रति किलोमीटर एवं मोटर साइकिल से यात्रा करने पर तीन रूपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा व्यय दिया जायेगा। बस या रेल से यात्रा करने पर साधारण श्रेणी का वास्तविक किराया अदा किया जायेगा। मानदेय एवं यात्रा व्यय का भुगतान उपरोक्तानुसार स्थानीय पंच/सरपंच/पार्षद/समकक्ष प्राधिकारी के सत्यापन के उपरान्त लेखा संबंधी सभी नियमों का कठोरता से पालन करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के धारा 4(सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बजट से किया जायेगा।

प्रशिक्षण

इन सभी नवीन योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपरोक्त टीमों तथा इन योजनाओं के तहत गठित समितियों/इकाईयों के सदस्यगण के रूप में शामिल करने के लिए पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वोलेन्टीयर्स को जिला स्तर पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम अवकाश के दिन आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण 20 मार्च 2016 के पूर्व आवश्यक रूप से सम्पन्न किया जायेगा।

प्रतिभागियों का चयन

जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालय की प्रत्येक टीम में सदैव एक पैनल अधिवक्ता एवं एक पैरा लीगल वोलेन्टीयर की आवश्यकता रहेगी लेकिन किसी सदस्य के किसी भी कारण से उपस्थित नहीं हो पाने या किसी सदस्य का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में नये प्रशिक्षित सदस्यगण की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। अतः सभी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले में सभी योजनाओं के तहत आवश्यक पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वोलेन्टीयर्स का आकलन करेंगे और दुगुनी संख्या में उन्हें प्रशिक्षण देंगे ताकि प्रत्येक टीम में सदस्यों के रोटेशन के लिए एवं किसी सदस्य के अनुपस्थित होने की दशा में प्रशिक्षित सदस्य उपलब्ध कराया जा सके और किसी भी सूरत में योजना का कियान्वयन बाधित नहीं हो।

प्रशिक्षण की व्यवस्था

जिला मुख्यालय पर प्रतिभागियों की संख्या के अनुरूप प्रशिक्षण हेतु उचित भवन का चयन किया जायेगा। न्यायालय परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर अन्य राजकीय भवन में प्रशिक्षण दिया जायेगा अन्यथा मितव्ययता बरतते हुए प्राईवेट भवन की व्यवस्था की जायेगी।

प्रशिक्षण के दौरान चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लन्च की व्यवस्था नियमानुसार की जायेगी।

प्रतिभागियों को फोल्डर में नोट बुक, पेन व स्कीम पुस्तिका दी जायेगी।

प्रशिक्षक

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षक के रूप में ऐसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण एवं सुयोग्य अधिवक्तागण का चयन किया जायेगा जिनकी विधिक सेवा कार्यों में रूचि और अनुभव हो, अच्छी सम्प्रेषण क्षमता हो तथा विषय वस्तु का पूरा ज्ञान हो।

09.00 am	नाश्ता एवं रजिस्ट्रेशन	
09.30 - 10.00 am	कार्यक्रम का परिचय एवं विधिक सेवा संस्थाओं के दायित्व	
नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015		
10.00 - 10.30 am	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ कियान्वयन	
10.30 - 10.50 am	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015		
10.50 - 11.20 am	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ कियान्वयन	
11.20 - 11.40 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Child Friendly legal services to Children and their Protection) Scheme, 2015		
11.40 am - 12.10 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ कियान्वयन	
12.10 - 12.30 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015		
12.30 – 01.00 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ कियान्वयन	
01.00 - 01.20 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
01.20 – 02.00 pm	LUNCH BREAK	

नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015		
02.00 - 02.30 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ कियान्वयन	
02.30 - 02.50 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015 NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015		
02.50 - 03.20 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ कियान्वयन	
03.20 - 03.40 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
03.40 – 04.00 PM	TEA BREAK	
नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015		
04.00 - 04.30 pm	स्कीम का परिचय एवं यथार्थ कियान्वयन	
04.30 - 04.50 pm	प्रश्न उत्तर एवं परिचर्चा	
04.50 – 05.00 pm	समापन उद्बोधन	

प्रशिक्षण का व्यय

एक दिन के प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागी पैनल अधिवक्ता को रू 500/– एवं पैरा लीगल वोलेन्टीयर को रू 250/– मानदेय दिया जायेगा। तालुका मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक आने वाले प्रतिभागियों को बस या रेल का साधारण किराया देय होगा। चाय नाश्ता, वर्किंग लंच एवं प्रशिक्षण में आवश्यक तमाम व्यय पूरी मितव्ययता के साथ लेखा नियमों की पूर्ण पालना करते हुए धारा 4 (सी) के बजट से किया जायेगा।

प्रशिक्षण की सूचना

प्रशिक्षण की सूचना निम्न प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी –

प्रशिक्षण की दिनांक	प्रतिभागी पैनल अधिवक्तागण की संख्या	प्रतिभागी पैरा लीगल वोलेन्टीयर्स की संख्या	प्रशिक्षण का कुल व्यय

रिफ्रेशर कोर्स

सभी योजनाओं के धरातल पर कियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निवारण के लिए जिला स्तर पर छहः माह पश्चात उपरोक्त सभी प्रतिभागियों के लिए उक्त प्रशिक्षण योजना के अनुरूप एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जायेगा जिसमें फील्ड में काम करने वाले सदस्यगण को प्रत्येक योजना के संबंध में अपने अनुभव शेयर करने का अवसर दिया जायेगा और उनके अनुरूप व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किये जायेंगे। रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने की सूचना उपरोक्त प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजी जायेगी।

योजनाओं के कियान्वयन की मासिक रिपोर्ट

तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपने स्तर पर समीक्षा व सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक योजना के कियान्वयन की मासिक रिपोर्ट आगामी माह की पांच तारीख तक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे।

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे जिले की प्रत्येक योजना की रिपोर्ट संकलित व समेकित करेंगे तथा अपने स्तर पर समीक्षा व सत्यापन के उपरान्त आगामी माह की दस तारीख तक समेकित रिपोर्ट निम्न प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम			
स्कीम का नाम			माह .....
विधिक जागरूकता शिविर/कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थी/प्रतिभागियों की संख्या	विधिक जागरूकता के अलावा स्कीम के अनुरूप की गई अन्य गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	लाभार्थियों की संख्या/गतिविधियों के परिणाम का विवरण

कृपया पीड़ित मानवता की सेवा हेतु बनाई गई उपरोक्त योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन में कोई कोर कसर नहीं रखें। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो इस कार्यालय को अवश्य अवगत करायें।

–sd–
(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव
दिनांक : 23.2.2016

कमांक : 17059-17129
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र में परिपत्र के अनुरूप कार्यवाही करावें तथा परिपत्र की प्रति सभी तालुका विधिक सेवा समितियों को प्रेषित करावें।
4. श्रीमान् कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
5. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

22/2/16
उप सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(87)/2016/278-84 जयपुर, दिनांक : 28/3/16

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि योजना की पालना में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप सभी राजकीय एवं निजी मनोचिकित्सा अस्पतालों, भवनों व सुविधा केन्द्रों में आगंतुक बोर्ड का गठन कराया जाये। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से कारागृहों का निरीक्षण करने के लिए मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों/परामर्शदाताओं का दल गठित कराया जाये। साथ ही पुलिस के स्तर पर भी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाये। योजना के कियान्वयन के संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाया रखा जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(88)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– **नाल्सा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। इस योजना के अन्तर्गत बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों एवं योजनाओं का डाटाबेस तैयार किया जाना है। योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से बाल कल्याण एवं संरक्षण के लिए बनायी गयी केन्द्रीय एवं राज्य परियोजनाओं, नीतियों, विनियमन, एस. ओ. पी., पुलिस निर्देशिका, नियम, घोषणाएं, टिप्पणियां एवं रिपोर्ट आदि सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित करावें। साथ ही इनमें किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन होने पर प्राधिकरण को सूचित किया जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(86)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। इस योजना के अन्तर्गत नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन व तस्करी की रोकथाम, नशाखोरी की आदत को रोकने, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास जैसे विषयों पर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाना है। योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा, राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों को नामित करते हुए विशेष इकाईयों का गठन अविलंब कराया जाये। जिला स्तर/विभाग स्तर पर तैयार की गयी नीति, योजना, विनियम, दिशा–निर्देश, प्रतिवेदन आदि अभिलेख की प्रतियां सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित कराया जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(90)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत श्रमिक कल्याण के लिए उपकर (cess) के रूप में वसूल की गयी राशि को श्रमिकों के कल्याण में खर्च करने, अन्य किसी अनाधिकृत काम में नहीं लेने तथा बिना खर्च किये बैंकों में जमा नहीं रखने संबंधी आदेश/दिशा–निर्देश जारी कराया जाये। साथ ही सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अन्तर्गत श्रमिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने बाबत् आदेश जारी करें तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन भी कराया जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(91)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– **नाल्सा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के साथ–साथ उन्हें विभिन्न विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि जन जातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग द्वारा योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विभाग अपने समस्त दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करें। साथ ही विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय रखते हुए उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(85)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने यौन कर्मियों के अधिकारों के संरक्षण एवं महिला तस्करी की पीड़ितों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण इकाईयों का गठन किया जाये। योजना के कियान्वयन के संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाये रखा जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(89)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि राज्य में प्रचलित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार सूची मय संक्षिप्त विवरण, मय ब्रोशर, पेम्पलेट्स (यदि उपलब्ध हों) तैयार कर भिजवायी जाये। योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से तैयार उपरोक्त सामग्री सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित करायी जाये। इस संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाये रखा जाये तथा योजना के कियान्वयन में कोई कमी नहीं रखी जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(87)/2016/278-84 जयपुर, दिनांक : 28/3/16

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि योजना की पालना में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप सभी राजकीय एवं निजी मनोचिकित्सा अस्पतालों, भवनों व सुविधा केन्द्रों में आगंतुक बोर्ड का गठन कराया जाये। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से कारागृहों का निरीक्षण करने के लिए मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों/परामर्शदाताओं का दल गठित कराया जाये। साथ ही पुलिस के स्तर पर भी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाये। योजना के कियान्वयन के संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाया रखा जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(88)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– **नाल्सा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। इस योजना के अन्तर्गत बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों एवं योजनाओं का डाटाबेस तैयार किया जाना है। योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से बाल कल्याण एवं संरक्षण के लिए बनायी गयी केन्द्रीय एवं राज्य परियोजनाओं, नीतियों, विनियमन, एस. ओ. पी., पुलिस निर्देशिका, नियम, घोषणाएं, टिप्पणियां एवं रिपोर्ट आदि सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित करावें। साथ ही इनमें किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन होने पर प्राधिकरण को सूचित किया जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(86)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। इस योजना के अन्तर्गत नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन व तस्करी की रोकथाम, नशाखोरी की आदत को रोकने, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास जैसे विषयों पर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाना है। योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा, राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों को नामित करते हुए विशेष इकाईयों का गठन अविलंब कराया जाये। जिला स्तर/विभाग स्तर पर तैयार की गयी नीति, योजना, विनियम, दिशा–निर्देश, प्रतिवेदन आदि अभिलेख की प्रतियां सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित कराया जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(90)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत श्रमिक कल्याण के लिए उपकर (cess) के रूप में वसूल की गयी राशि को श्रमिकों के कल्याण में खर्च करने, अन्य किसी अनाधिकृत काम में नहीं लेने तथा बिना खर्च किये बैंकों में जमा नहीं रखने संबंधी आदेश/दिशा–निर्देश जारी कराया जाये। साथ ही सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अन्तर्गत श्रमिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने बाबत् आदेश जारी करें तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन भी कराया जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(91)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– **नाल्सा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के साथ–साथ उन्हें विभिन्न विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि जन जातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग द्वारा योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विभाग अपने समस्त दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करें। साथ ही विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय रखते हुए उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(85)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के कम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने यौन कर्मियों के अधिकारों के संरक्षण एवं महिला तस्करी की पीड़ितों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण इकाईयों का गठन किया जाये। योजना के कियान्वयन के संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाये रखा जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : प.8(1)विधि–2/विरस(89)/2016/ जयपुर, दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव.....
जिला कलक्टर.....

विषय :– नाल्सा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के कियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत एक योजना जारी की है (प्रति संलग्न)। निर्देशित किया जाता है कि राज्य में प्रचलित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार सूची मय संक्षिप्त विवरण, मय ब्रोशर, पेम्पलेट्स (यदि उपलब्ध हों) तैयार कर भिजवायी जाये। योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से तैयार उपरोक्त सामग्री सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट परिसर, जयपुर को अतिशीघ्र प्रेषित करायी जाये। इस संबंध में विधिक सेवा संस्थाओं से समन्वय व सहयोग बनाये रखा जाये तथा योजना के कियान्वयन में कोई कमी नहीं रखी जाये।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव